कृषि विज्ञान केन्द्र, राजगढ़ (ब्यावरा) म.प्र.

क्रमांक / कृ.वि.के. / व.वै.एवं प्र. / 2022–23 / 603 दिनांक : 15 / 03 / 2023

नीलामी सूचना

सभी इच्छुक खरीददारो को सूचित किया जाता है कि कृषि विज्ञान केन्द्र कोठीबाग प्रक्षैत्र राजगढ़ में आम एवं अन्य फल बहार के विक्रय हेतु भाव पत्र आमंत्रित किये जाते है इच्छुक खरीददार अपने भाव पत्र बन्द लिफाफे में कृषि विज्ञान केन्द्र में नीलामी तिथि (27.03.2023) में समय पर उपस्थित रहकर अधिष्ठाता कृषि महाविद्यालय सीहोर द्वारा गठित समिति के समक्ष आम फसल को नीलामी द्वारा विक्रय किया जावेगा। भाव पत्र / खुली बोली दिनांक 27.03.2023 को 12.00 बजे की जायेगी। जिसकी शर्ते निम्नानुसार होगी–

1. भाव पत्र (नीलामी शर्तो सहित) कार्यालयीन समय में रूपये 10 / – मात्र जमा करके प्राप्त किया जा सकता है। प्राप्त किये गये भाव पत्र को भरने के बाद रूपये 5000 / –(पांच हजार मांत्र) की अमानत राशि के साथ कार्यालय में मुहर बंद लिफाफे में जमा करे। आधार की प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
2. भाव पत्र / खूली बोली द्वारा उचित कीमत (मूल्यांकन समिति द्वारा निर्धारित) आने पर ही आम, एवं अन्य फलवहार का विक्रय किया जायेगा। भाव पत्र / खुली बोली की अधिकतक कीमत की पुरी राशि खरीददार को 24 घण्टे में कार्यालय में जमा करनी होगी। पूरी राशि जमा करने के बाद ही आदेश जारी किया जावेगा। यदि पूर्ण राशि जमा नही की जाती है तो द्वितीय बोली कर्ता को आदेश जारी किया जा सकता है। 30.06.2023 तक फल तुडाई कर प्रक्षैत्र खाली करना होगा।
3. फल कृषि विज्ञान केन्द्र कोठी बाग के बाहर ले जाने के पूर्व प्रत्येक पौधों के फलों की संख्या एवं तोल संबंधित व्यक्ति को देने के बाद ही फल कोठी बाग से बाहर ले जाने की अनुमति दी जावेगी।
4. केन्द्र के अधिकारी / कर्मचारी एवं मजदूर सम्पूर्ण केन्द्र में अपना कार्य यथावत करेंगे। खरीददार द्वारा किसी भी प्रकार की आपत्ति नहीं लगाई जावेगी।
5. आम एवं अन्य फलबहार की देखरेख एवं अन्य सुरक्षा खरीददार को स्वयं करनी होगी। फसल तुडाई के समय श्रमिको के साथ हुई किसी भी तरह की दुर्घटना की जवाबदारी स्वयं ठेकेदारी की होगी।
6. ठेकेदार को कोई भी पशु प्रक्षेत्र में रखने की अनुमति नही दी जावेगी। खरीददार द्वारा रखे गये मजदूर एवं चौकीदार का पूरा नाम व पता इस कार्यालय को देना होगा।
7. ठेकेदार द्वारा केन्द्र में किसी भी प्रकार का नुकसान होने पर उसकी वसूली ठेकेदार से एवं अमानत राशि से कर ली जावेगी एवं नीलामी (निविदा) निरस्त की जा सकती हैं।
8. खरीददार को 10–10 स्वस्थ्य फल प्रत्येक किस्म के प्रदर्शनी के लिये निःशुल्क देने होगें।
9. केन्द्र में किसी भी प्रकार की असंवैधानिक गैर कानूनी कार्यवाही करने के लिए खरीददार जिम्मेदार होगे केन्द्र के अधिकारी एवं कर्मचारियो से अभद्र व्यवहार करने पर कानूनी कार्यवाही की जावेगी।
10. निविदा की कीमत भरने के पूर्व आम एवं अन्य फलबहार का अवलोकन खरीददार को कर लेना चाहिये।
11. प्राकृतिक प्रकोप या किसी भी प्रकार की हानि होने के लिये केन्द्र किसी भी प्रकार उत्तरदायी नही होगा।
12. निविदा वही व्यक्ति भर सकते है जो गत वर्षो में नीलामी के अयोग्य नही माने गये है।
13. किसी भी प्रकार का वाद–विवाद उत्पन्न होने पर अधिष्ठाता, आरएके कॉलेज कृषि महाविद्यालय सीहोर म0प्र0 का निर्णय अन्तिम एवं सर्वमान्य होगा।
14. फल आम एवं अन्य फलबहार की निविदा की स्वीकृति एवं अस्वीकृति का पूर्ण अधिकार अधिष्ठाता आएके कॉलेज कृषि महाविद्यालय सीहोर एवं कमेटी का होगा।
15. अन्य विस्तृत जानकारी हेतु वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख अधिकारी, कृषि विज्ञान केन्द्र कोठीबाग राजगढ़ (ब्यावरा) म.प्र. से सम्पर्क करें।
16. ठेकेदार को प्रभारी अधिकारी प्रक्षेत्र के निर्देशन में आम एवं अन्य फलबहार वृक्षों में सिंचाई हेतु आवश्यक होने पर पानी उपलब्ध कराया जावेगा। 3 माह का विद्युत शुल्क राशि रू. 9000 अलग से जमा करना होगें। ठेकेदार को बिजली जलाने के लिये अलग से अस्थायी विद्युत कनेक्शन लेना होगा।
17. प्रक्षैत्र भवन का आंशिक उपयोग करने पर राशि रूपये 6000=00 (छः हजार रूपये) जमा करनी होगी। खाद एवं उर्वरक का व्यय ठेकेदार को स्वयं करना होगा।
18. किन्ही कारणवश पानी की मोटर खराब होने की स्थिति में मरम्मत उपरान्त पानी दिया जावेगा।
19. भाव पत्र खुलने के बाद राशि यदि समिति द्वारा आंकलन राशि से कम आती है तो निगोशियेशन (बातचित) / बोली करने का स्वतंत्र अधिकार नीलामी समिति का होगा।
20. विक्रय समिति किसी भी या सभी निविदाओ को बिना कोई कारण बताये स्वीकार / अस्वीकार करने का अपना अधिकार सुरक्षित रखती है।

प्रक्षेत्र प्रभारी

वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख

Senior Scientist & Head
Krishi Vigyan Kendra Rajgarh